

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
उपकारा, बेनीपुर, हिलसा एवं शेरघाटी।

पटना, दिनांक-...०९/०३.../2017।

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं० 22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0003 उप जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न स्थापना मदों में निकासी हेतु राशि ₹20,82,000 (बीस लाख बरासी हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि. दिनांक-31.03.2016 पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु अधीक्षक, उपकारा बेनीपुर, हिलसा एवं शेरघाटी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नरूपेण राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न स्थापना मदों में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र	उपकारा का नाम	कूट सं० एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	बेनीपुर	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	3000000	600000	3600000	छत्तीस लाख रुपये मात्र।
2	हिलसा	0101- वेतन	3360000	250000	3610000	छत्तीस लाख दस हजार रुपये मात्र।
		0103-जीवनयापन भत्ता	4400000	350000	4750000	सैंतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र।
		0104-मकान किराया भत्ता	180000	30000	210000	दो लाख दस हजार रुपये मात्र।
		0106-चिकित्सा भत्ता	64000	7000	71000	एकहत्तर हजार रुपये मात्र।
		01 07-अन्य भत्ता	60000	5000	65000	षैंसठ हजार रुपये मात्र।
3	शेरघाटी	0101- वेतन	2800000	125000	2925000	उनतीस लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र।
		0103-जीवनयापन भत्ता	3600000	200000	3800000	अड़तीस लाख रुपये मात्र।
		0104-मकानकिरायाभत्ता	144000	50000	194000	एक लाख चौरानबे हजार रुपये मात्र।
		0106-चिकित्सा भत्ता	40000	15000	55000	पचपन हजार रुपये मात्र।
		01 07-अन्य भत्ता	48000	10000	58000	अनठावन हजार रुपये मात्र।
		11 01 यात्रा व्यय	24000	40000	64000	चौंसठ हजार रुपये मात्र।
		28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	3500000	400000	3900000	उनचालीस लाख रुपये मात्र।
कुल योग			21220000	2082000	23302000	दो करोड़ तैंतीस लाख दो हजार रुपये मात्र।

(बीस लाख बरासी हजार रुपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0003 उप जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010003 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

राजेश कुमार  
21/04/17

मो. जमाबुद्दीन अंसारी  
उपकारा

राजेश कुमार  
31/04/17 (4/17)

3. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं मद में आवंटित राशि से सर्वप्रथम कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों/कारा निरीक्षणालय से स्वीकृत संख्या के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति गृह रक्षा वाहिनी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत आने वाले दैनिक मजदूर को भुगतान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

6. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं0-405/वि0 दिनांक-25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

7. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

संजय कुमार बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-09/3/2017

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी, 21.5.2017 दि.  
उप.पदा.

ज्ञापक-कारा/बजट(उप)-03-01/16.....113.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

संजय कुमार बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-09/3/2017

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी, 21.5.2017 दि.  
उप.पदा.

ज्ञापक-कारा/बजट(उप)-03-01/16.....113.....

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

संजय कुमार बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-09/3/2017

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी, 21.5.2017 दि.  
उप.पदा.

ज्ञापक-कारा/बजट(उप)-03-01/16.....113.....

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

संजय कुमार बिहार, पटना।

मौ. जमाबुद्दीन अंसारी, 21.5.2017 दि.  
उप.पदा.